कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रा.वि/स्थानान्तरण/2026–48386–8895054 दिनांक : 10.01.2026 द्वारा पूजा मितल व्याख्याता–राजनीति विज्ञान का स्थानान्तरण/पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लूहासा, नदबई (217266) भरतपुर से राउमावि दाण्डा (214261) करौली किया गया था। उक्त स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध पूजा मितल व्याख्याता–राजनीति विज्ञान द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 2638/2026 पूजा मितल बनाम सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांकः–11.02.2026 में आदेश दिया गया है कि "In the light of above, it is directed that in case, any representation is submitted by the petitioner against transfer order dated 10.01.2026, the competent authority shall decide the same in accordance with law by a speaking order. However, even if the representation is decided against the petitioner, looking to the schedule of board examinations, the petitioner shall not be relieved from the present place of posting till 31st of March, 2026, and shall be allowed to continue her work at present place of posting till the above date. Writ petition stands disposed of, accordingly. Pending application(s), if any, also stand(s), disposed of."

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन/याचिका प्रस्तुत कर कथन किया है कि याचिकार्थी का स्थानान्तरण बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। याचिकार्थी ने कथन किया है कि उसका पुत्र 10 वीं कक्षा में अध्ययनरत है, जो नेत्र रोग से पीड़ित है, उसका उपचार नियमित रूप से दिल्ली में चल रहा है। याचिकार्थी ने कथन किया है कि उसका पति राजकीय पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालय कटारा, नदबई में व्याख्याता पद पर कार्यरत है। याचिकार्थी ने कथन किया है कि उसके स्थान पर अन्य किसी व्याख्याता को पदस्थापित नहीं किया गया है। उक्त आधारो को ध्यान में रखते हुए याचिकार्थी ने स्थानान्तरण निरस्त कर यथावत महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लूहासा, नदबई (217266) भरतपुर/राउमावि गांगरोली ब्लॉक नदबई भरतपुर/स्व. श्री सुखराम राउमावि कटारा ब्लॉक नदबई, भरतपुर में प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के पद पर पदस्थापन की मांग की है।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का विभागीय दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के अन्तर्गत परीक्षण अवलोकन व अध्ययन किया गया। राज्य सरकार के स्थानांतरण संबंधित दिशा–निर्देश क्रमांक : प. 17(30) शिक्षा–2/2021 जयपुर दिनांक : 14.07.2022 में प्रदत्त दिशा–निर्देश जो कि पूर्व के सभी दिशा–निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए गए है, के अनुसार याचिकार्थी के स्थान पर किसी अन्य को पदस्थापित नहीं किये जाने, याचिकार्थी का पुत्र 10 वीं कक्षा में अध्ययनरत होने, जो नेत्र रोग से पीड़ित होने एवं पति/पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में होने के आधार पर कार्मिक को स्थानान्तरण में शिथिलता प्रदान किए जाने के निर्देश प्राप्त नही हैं। याचिकार्थी को योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए याचिकार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति उपरान्त किया गया है। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर यथावत पदस्थापन का निहित/आत्यंतिक अधिकार नहीं हैं। याचिकार्थी पूजा मित्तल की पदस्थापन सारणी से स्पष्ट है कि वह महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लूहासा, नदबई (217266) भरतपुर में दिनांक 31.08.2016 से 9 वर्षों से अधिक समय से लगातार इसी विद्यालय में कार्यरत है। तथा प्रथम नियुक्ति से भरतपुर जिले के नदबई ब्लॉक तहसील के ही विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित रही है। इतने लम्बे समय उपरान्त स्थानान्तरण किए जाने पर भी याचिकार्थी पूजा मित्तल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर किए जाने से परिलक्षित होता है कि वह एक स्थान पर लगातार बने रहना चाहती है जो कि किसी भी लोकसेवक के लिए उचित एवं तर्कसंगत नहीं है। विभाग की यह प्राथमिकता रहती है कि विभागीय प्रबंधन एवं शिक्षण व्यवस्था प्रभावित नहीं हो एवं विद्यालय में रिक्त पड़े प्राध्यापक पदों कों विद्यार्थी हित में भरा जा सके ताकि शिक्षण व्यवस्था को सूचारू रूप से चलाया जा सके।

जहाँ तक याचिकार्थी द्वारा पति–पत्नी के राजकीय सेवा में होने के आधार पर एक ही स्थान पर पदस्थापन का कथन है, के संबंध में तथ्य यह है कि वर्तमान शिक्षा विभाग में पति–पत्नी को राजकीय सेवा में होने के आधार पर एक ही स्थान पर पदस्थापन/स्थानांतरण की कोई नीति प्रभावी नहीं है।

किसी भी लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में निर्णय का यह क्षेत्राधिकार नियोक्ता को है, कि वह अपने अधीन लोकसेवक को कब, कहाँ और किस समय स्थानान्तरित करता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त के प्रकरण में अपने निर्णय में अभिनिर्धारित किया है कि लोकसेवक के स्थानान्तरण/पदस्थापन की शक्तियाँ पूर्णतया नियोजक के अधीन है। सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य मे कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता हैं। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी प्रकार से कोई उल्लंघन नही होता है।

याचिकार्थी पूजा मित्तल राज्य सेवा की राजपत्रित अधिकारी है और सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता हैं। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता है। अतः उक्त विवेचन के क्रम में याचिकार्थी पूजा मित्तल का अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सीताराम जाट)
I.A.S.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना
निदेशक (वरिष्ठ) समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

क्रमांक : शिविरा–मा/संस्था/सी–6/रा.वि./उ.न्याय.जय./2638–2026/ पूजा मितल /2026/ई–54661 दिनांक :– यथा हस्ताक्षर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय एवं पंचा. राज (प्रा. शि.) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य–विधि) जोधपुर/जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक को उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाकर पालना रिपोर्ट से इस कार्यालय को अविलम्ब अवगत करवाना सुनिश्चित करावें।
9. संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref No.: 22637521

Document certified by SITA RAM JAT <JATSRJ@GMAIL.COM>.

Digitally Signed by SITA RAM JAT
Designation : Director
Date :04-06-2026 04:49:44